न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2018
अनवान :–
रणजीतराम पुत्र पाबुराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा, जिला बीकानेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर
2. सोपारी पत्नि सुरजाराम जाति बिश्नोई | निवासीगण सलूण्डिया तहसील नोखा
3. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई | जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से – श्री जयचन्दलाल सारस्वत अधिवक्ता
2. स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
3. रेस्पो.सं. 2 व 3 की ओर से – श्री दिनेश गहलोत अधिवक्ता

–::निर्णय::– दिनांक 27.02.2020

1. अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार (राजस्व) नोखा के आदेश दिनांक 12.12.2017 जिसकी रूह से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं स्वतः शुन्य होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत अधिवक्ता द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई। तदन्त्र मामले में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के बिन्दुओं को दौहराते हुवे निवेदन किया कि जैर अपील रकबा वाके रोही ग्राम सलूण्डिया के खसरा नम्बर 2055/732 तादादी 0.04 हैक्टर अपीलान्ट का मूल खसरा नम्बर 732 तादादी 4.05 हैक्टर का ही भाग है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध रहते हुवे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट में (पूर्व में) दिनांक 26.08.2015 को विधि विरूद्ध तरीके से रास्ता स्वीकृत करवा लिया तथा अमलाराज की मिली भगती से रिकार्ड में उक्त मूल खसरा नम्बर 732 की 4.05 हैक्टर भूमि में से 0.04 हैक्टर रास्ता दर्शाते हुऐ नये खसरा नम्बर 2055/732 तादादी 0.4 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कर दिया जबकि मौके पर उक्त रास्ता चालू नहीं था, बल्कि अन्य वैकल्पिक रास्ता से ही रेस्पो. सं. 2 व 3 आवाजावी करते थे, के तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष निकालकर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जिस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 26.08.2015 जिसके द्वारा

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अपीलान्ट के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 732 में से रास्ता कायम किया गया था, के खिलाफ अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.17 को स्वीकार कर उक्त आदेश दिनांक 26.08.15 को निरस्त फरमा दिया गया, के आधार पर उक्त गैर मुमकीन रास्ता के इन्द्राज को पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज करना था, परन्तु पटवारी हल्का ने उक्त इन्द्राज करने के बजाय रेस्पो. संख्या 2 व 3 के प्रभाव में आकर अपीलान्ट के खिलाफ ही अतिक्रमी की कार्यवाही की सिफारिश कर दी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने इकतरफा विश्वास करते हुऐ जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 29.11.17 को अपीलान्ट के नाम नोटिस जारी कर दिनांक 4.12.17 को तलब किया जिस पर अपीलान्ट ने हाजिर अदालत आकर जवाब हेतु अवसर चाहा परन्तु फर्द अहकाम को देखने से मालूम हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय करने का पूर्व में ही मानस बना लिया था। फर्द अहकाम दिनांक 4.12.17 में रेस्पो. संख्या 2 व 3 की उपस्थिति दिखाना एवं आगे पेशी 6.11.17 दी गई तथा 8.11.17 को बिना प्रक्रिया अपनाये सीधे प्रार्थना पत्र. पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को पक्षकार के रूप में संयोजित करने का आदेश पारित करना फिर बिना कोई कारण के आगामी पेशी 11.12.17 मुकरर्र की जाकर फर्द अहकाम में पूरी बहस लिख कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मान लिया के आदेश के बावजूद निर्णय हेतु पेशी 12.12.17 नियत कर अलग से जैर अपील निर्णय पारित किया है। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय की अनदेखी की है तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश की गलत व्याख्या कर मनमाने तरीके से जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील रकबा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का भाग है तथा जिस आदेश से 0.04 है. गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया था उसे अपील न्यायालय ने दिनांक 17.11.17 को निरस्त कर दिया है, के कारण उक्त रकबा पुनः अपीलान्ट का खातेदारी हो गया है, के कारण अपीलान्ट किसी भी प्रकार से अतिक्रमी साबित नहीं है, के बावजूद राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश की आड़ में जैर अपील आदेश पारित किया है जिस न्याय हित में निरस्त फरमाया जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 12.12.17 को निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट तहसीलदार(राजस्व) नोखा की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का सलुण्डिया द्वारा गैर मुमकीन रास्ते पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दायर हुवे। अप्रार्थी रणजीतराम पुत्र पाबुराम जाति बिश्नोई निवासी सलूण्डिया ने ग्राम सलूण्डिया के खसरा नम्बर 2055/732 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि किस्म गैर मुमकीन रास्ता में संवत् 2074 नाजायज बाड बनाकर अतिक्रमण करने अप्रार्थी रणजीतराम पुत्र पाबूराम को राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट पर की गई कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्टस् के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टस् सदैव अपने खेत से आने जाने के इसी रास्ते को उपयोग लेते रहे है। उक्त रास्ता भू–प्रबंध के दौराने से पहले से चला आ रहा है तथा भू प्रबंध के दौरान उक्त रास्ते को राजस्व नक्शा में लाल स्याही से डॉट–डॉट से अंकन किया गया है। लेकिन त्रुटिवंश राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज नहीं किया गया था, जो अहम कानूनी भूल थी। अतः उक्त रास्ता गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवाने की रेस्पोडेन्ट हकदार है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार नोखा के निर्णय दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 29.11.2017 को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर बाड़ बनाकर व ट्रेक्टर का हैरा चलाकर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमें आगामी तारीख पेशी 4.12.2017 नियत की गई। उक्त तिथि पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा एवं पत्रावली में तारीख पेशी 06.11.2017 नियत की गई। इसके बाद 06.11.2017 की आदेशिका अनुसार पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति में 08.11.2017 नियत की गई। दिनांक 08.11.2017 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली आयन्दा तारीख पेशी 11.12.2017 नियत की गई। उक्त तिथि को अपीलान्ट का जवाब लेकर बहस सुनी गई तथा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अंकित तिथि अंकन में लिपिकीय भूल प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के गैर मुमकीन रास्ते के लिए उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 26.08.2015 से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से 0.4 हैक्टयर कम करके राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता अंकन करने के आदेश पारित किये गये। जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जो कि दिनांक 17.11.2017 को निर्णित हुई जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 26.08.2015 को निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोखा को रिमाण्ड किया। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत हुई। राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 22.11.2017 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की पालना स्थगित की गई। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.2015 प्रभावशील होने के कारण प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन रास्ता होने के आधार पर तहसीलदार नोखा द्वारा पारित आदेश में त्रुटि नहीं है।

7. लिहाजा उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में तहसीलदार नोखा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 में किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने के आधार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर